भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 559
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत घरों का आवंटन

559. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) भूमिहीन शहरी गरीबों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रही है क्योंकि उक्त योजना के तहत आबंटित किए गए 83 प्रतिशत घर केवल उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही जमीन है या जिनके पास पूंजी तक पहुंच है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार उक्त बहिर्वेशनीय दृष्टिकोण का समाधान करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय इकाइयों के आबंटन बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): जी, नहीं। 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें भूमिहीन शहरी गरीबों को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना शामिल है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के साथ देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के घर उपलब्ध कराना है।

इस योजना को चार घटकों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है, अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)। इस योजना ने

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमिहीन शहरी गरीबों और झुग्गीवासियों सहित लाभार्थियों के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव करने का लचीलापन प्रदान किया है ताकि वे अपनी पसंद और पात्रता मानदंडों के अनुसार किसी भी घटक के तहत लाभ उठा सकें। विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्थानीय नियमों और लागू नीतियों के अनुसार भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि पट्टा/अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा, जिन लाभार्थियों के पास जमीन नहीं है, वे योजना के तहत बहुमंजिला आवास परियोजनाओं में घर पाने के लिए एएचपी/आईएसएसआर घटक चुन सकते हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा चुने जाने वाले विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 27.1.2025 तक मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.50 लाख मकानों की नींव रखी जा चुकी है और 90.25 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/ पूरे देश में लाभार्थियों को संवितरित किए जा चुके हैं। योजना अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण(बीएलसी),साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत घर बना, खरीद और किराए पर ले सकें। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी)/मध्यम आय समूह (एमआईजी) श्रेणी के परिवार, जिनमें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल हैं, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या बनाने के पात्र हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने खर्च पर परिवार को विरासत में मिले, लेकिन अहस्तांतरणीय भूमि अधिकार (पट्टे) प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभार्थी बन जाएंगे। भूमिहीन लोग पीएमएवाई 2.0 योजना के एएचपी और आईएसएस वर्टिकल के तहत भी लाभ उठा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।

*****